रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012020-215147 CG-DL-E-04012020-215147

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार स प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] No. 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 3 जनवरी. 2020

का.आ. 71(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की धारा 4 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खड (ii) तारीख 31 मई, 2010 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1258(अ) तारीख 31 मई, 2010 का अधिक्रांत करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मासिक मजदूरी की निम्नलिखित रकम विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

"पन्द्रह हजार रुपये"

[फा. सं. एस-37025/03/2016-सा.स्-।]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

86 GI/2020 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2020

S.O. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of section 4 of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923) and in supersession of the notification of the Ministry of Labour and Employment issued vide number S.O. 1258(E), dated 31st May, 2010; published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 31st May, 2010, the Central Government hereby specifies, for the purposes of sub-section (1) of the said section, the following amount as monthly wages, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

"Fifteen thousand rupees"

[F. No. S-37025/03/2016-SS-I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.